रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 599] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 17, 2014/कार्तिक 26, 1936
No. 599] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 17, 2014/KARTIKA 26, 1936

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2014

सा.का.नि. 812(अ).—केंद्रीय सरकार, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 17 की उपधारा (10) के साथ पठित धारा 51 की उपधारा (2) के खंड (ड़) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तलाशी अभिग्रहण की प्रक्रिया) नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं – (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) अभिप्रेत है ;

(ख) "प्राधिकार" से इन नियमों में संलग्न प्ररुप में प्राधिकारी द्वारा जारी प्राधिकार का वारंट अभिप्रेत है ;

(ग) "प्राधिकृत कार्यालय" से अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन तलाशी और अभिग्रहण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उक्त धारा के अधीन प्राधिकृत अधिकारी अभिप्रेत है ;

(घ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ;

(ड) इन नियमों में उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम में उनके है।

3. तलाशी और अभिग्रहण के प्राधिकार जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी.—(1) प्राधिकरण, धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन उस धारा के प्रयोजन के लिए प्राधिकार जारी करेगा ।

(2) उप नियम (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव डाले, अध्यक्ष, धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकार जारी कर सकता है यदि उसे धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण द्वारा लिखित आदेश द्वारा प्रत्यायोजित किया गया है;

पंरतु प्राधिकरण, धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन, अध्यक्ष की अनुपस्थिति उसके लिखित आदेश द्वारा किसी भी पूर्ण कालिक सदस्य को प्राधिकार जारी करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है ।

(3) अध्यक्ष या पूर्ण कालिक सदस्य, उपनियम (2) के अधीन प्राधिकार जारी करने के तुरंत पश्चात् ऐसे प्राधिकार को उसके कारणों सहित, प्राधिकरण को उस प्राधिकार के जारी होने के पश्चात् होने वाली उसकी पहली बैठक में सूचित करेगा

(4) अधिकारी जिसे प्राधिकार जारी किया जा सकेगा - प्राधिकरण धारा 17 के अधीन तलाशी और अभिग्रहण के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण के किसी अधिकारी जो महाप्रबंधक की पंक्ति से कम न हो, को प्राधिकार जारी करेगा ।

(5) प्राधिकार जारी करने के प्ररुप और रीति – (1) इन नियमों के अधीन, इन नियमों में संलग्न प्ररुप में, प्राधिकार जारी किया जाएगा ।

(2) प्रत्येक प्राधिकार लिखित में निम्नलिखित के अधीन होगा – (क) प्राधिकरण द्वारा नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन जारी प्राधिकार में हस्ताक्षर करने के लिए उसके द्वारा निदेशित अधिकारी के हस्ताक्षर और प्राधिकरण की मुहर लगी होगी ।

(ख) नियम 3 के उपनियम (2) के अधीन, प्राधिकार जारी करने वाले यथास्थिति, अध्यक्ष या पूर्ण कालिक सदस्य के हस्ताक्षर और उसकी मुहर लगी होगी ।

6. किसी भवन या स्थान की तलाशी के लिए उचित सुविधाएं प्रदान करने की उसके भारसाधक की बाध्यता – किसी भवन या स्थान जो कि तलाशी कराने के लिए प्राधिकृत है, का भारसाधक प्राधिकृत अधिकारी के मांग और प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करने पर, उसे उस स्थान पर अबाध प्रवेश अनुज्ञात करेगा और उस स्थान की तलाशी के लिए सभी उचित सुविधाएं प्रदान करें ।

7. परिस्थितियां जिनके अधीन पुलिस बल का उपयोग किया जाएगा – यदि नियम 6 में विनिर्दिष्ट यथा किसी भवन या स्थान में प्रवेश अभिप्राप्त नहीं होता है, तो प्राधिकार को निष्पादित करने वाले प्राधिकृत अधिकारी को, यथाअपेक्षित पुलिस अधिकारियों या केंद्रीय सरकार के अधिकारियों या दोनों की सहायता से ऐसे भवन या स्थान में प्रवेश करना और वहां की तलाशी करना और यदि प्राधिकार और प्रयोजन प्रकट करने पर और सम्यक रुप से प्रवेश की मांग करने पर उसे प्रवेश नहीं प्रदान होता है तो ऐसे में भवन या स्थान में प्रवेश को प्रभावी बनाने के लिए भवन या स्थान के बाहरी या आंतरिक खिड़की या दरवाजे तोड़ना विधि मान्य होगा ।

परंतु यदि ऐसा भवन या स्थान एक ऐसा खंड है जो वास्तविक रुप से किसी ऐसी स्त्री के अधिभोग में है जो, प्रथा के अनुसार लोगों के सामने नहीं आती, ऐसे खंड में प्रवेश से पहले, उस स्त्री को सूचित करें कि वह प्रत्याहृत करने के लिए स्वतंत्र है और उसे प्रत्याहृत करने के लिए उचित सुविधाएं प्रदान करेगा और उसके बाद खंड तोड़ कर उसमें प्रवेश किया जा सकेगा ।

8. कतिपय मामलों में बकस, संदूक, तिजोरी, अलमारी या अन्य पात्र तोड़कर खोलना – प्राधिकृत अधिकारी किसी व्यक्ति से जिसके पास भवन या उस स्थान पर बक्स, संदूक, तिजोरी, अलमारी या अन्य पात्र का कब्जा या नियंत्रण है, उसे खोलने तथा उसकी अंतर्वस्तुओं का निरीक्षण या परिक्षण अनुज्ञात करने की अपेक्षा कर सकेगा और जहां उसकी चाबियां उपलब्ध नहीं है या जहां ऐसा व्यक्ति ऐसी किसी अपेक्षा का अनुपालन करने में असफल रहता है तो प्राधिकृत अधिकारी कोई कार्यवाही करवाएगा जो वह नियम 3 के अधीन जारी प्राधिकार में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे, जिसके अंतर्गत बक्स, संदूक, तिजोरी, अलमारी या अन्य पात्र को तोड़कर खोलना भी है ।

9. कतिपय मामलों में प्राधिकृत अधिकारी, पुस्तकों, लेखाओं, कागज-पत्रों, प्राप्तियों, वाउचरों, सर्वेक्षण रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों को हटाने के लिए प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा की अपेक्षा- प्राधिकृत अधिकारी, जहां पुस्तकों, लेखाओं, कागज-पत्रों, प्राप्तियों, वाउचरों, सर्वेक्षण रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों का अभिग्रहण व्यवहार्य नहीं है, स्वामी या अन्य व्यक्ति जिसका उन पर कब्जा या नियंत्रण है, को एक आदेश तामील करेगा कि वह प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय, उनको नहीं हटाएगा, अलग नहीं करेगा या अन्यथा व्यवहार नही करेगा, प्राधिकृत अधिकारी इस नियम के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसे कदम उठा सकेगा जो आवश्यक है ।

10. तलाशी और अभिग्रहण की साक्षी के लिए दो या अधिक सम्मानित व्यक्ति की उपस्थिति प्राधिकृत अधिकारी, जहां किसी भवन या स्थान की तलाशी ली जानी है, तलाशी और अभिग्रहण से पूर्व उस परिक्षेत्र के दो या अधिक सम्मानित निवासियों को जिसमें तलाशी लिए जाने वाला भवन या स्थान अवस्थित है, तलाशी और अभिग्रहण में उपस्थित और गवाही के लिए बुलाएगा, और ऐसा करने के लिए उन्हें या उनमें से किसी व्यक्ति को लिखित में आदेश कर सकेगा।

11. तलाशी के दौरान अभिग्रहण की गई वस्तुओं की सूची तैयार करना – तलाशी साक्षियों की उपस्थिति में की जाएगी तथा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी तलाशी के दौरान अभिग्रहण की गई सभी पुस्तकों, लेखाओं, कागज-पत्रों, प्राप्तियों, वाउचरों, सर्वेक्षण रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों तथा उन स्थानों जिन पर क्रमश: उन्हें पाया गया, तैयार किया जाएगा और ऐसे साक्षियों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

12. तलाशी किए गए भवन या स्थान के भारसाधक व्यक्ति समेत अधिभोगियों के अधिकार – (1) तलाशी किए गए भवन या स्थान के दौरान अधिभोगी या उसके निमित्त किसी व्यक्ति को तलाशी के दौरान उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा और नियम 11 के अधीन तैयार सूची की एक प्रति ऐसे अधिभोगी या व्यक्ति को परिदत्त की जाएगी।

(2) नियम 11 के अधीन तैयार सूची की एक प्रति प्राधिकारी को अग्रेषित की जाएगी।

13. तलाशी के दौरान अधिग्रहण की गई पुस्तकों, लेखाओं, कागज-पत्रों, प्राप्तियों, वाउचरों, सर्वेक्षण रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों को पैकेज या पैकेजों में रखा जाएगा —

(1) तलाशी के दौरान, अधिग्रहण की गई पुस्तकों, लेखाओं, कागज-पत्रों, प्राप्तियों, वाउचरों, सर्वेक्षण रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों को प्राधिकृत अधिकारी ऐसे पुस्तकों, लेखाओं, कागज-पत्रों, प्राप्तियों, वाउचरों, सर्वेक्षण रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों के ब्यौरे सहित पैकेज में या पैकेजों में रखेगा या रखा जाएगा।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक पैकेज पर प्राधिकृत अधिकारी का एक पहचान चिन्ह और मुहर धारित करेगा और तलाशी की जाने वाले भवन या स्थान के अधिभोगी या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति को उन पर अपनी मुहर लगाने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

(3) तैयार की गई सूची की एक प्रति अधिभोगी या उपनियम (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति को भेजी जाएगी और उसकी एक प्रति प्राधिकरण को भी अग्रेषित की जाएगी।

14. तलाशी में अभिगृहीत पुसतकों, लेखाओं, कागज-पत्रों, प्राप्तियों, वाउचरों, सर्वेक्षण रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों अभिरक्षक अधिकारी के पास जमा होंगे प्राधिकृत अधिकारी तलाशी के दौरान अभिग्रहण पुस्तकों, लेखाओं, कागज-पत्रों, प्राप्तियों, वाउचरों, सर्वेक्षण रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों को, एक पैकेज या पैकेजों में, यदि कोई है, नियम 13 में निर्दिष्ट, प्राधिकरण के अधिकारी जो उसके द्वारा इन नियमों के प्रयोजनों के लिए (इसके पश्चात् अभिरक्षक अधिकारी निर्दिष्ट हैं), को पहुंचाएगा और उपरोक्त में निर्दिष्ट तलाशी में अभिग्रहण की गई पुस्तकों, लेखाओं, कागज-पत्रों, प्राप्तियों, वाउचरों, सर्वेक्षण रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों का अभिरक्षक अधिकारी के पास वर्तमान में जमा किया जा सकता है।

15. अभिरक्षक अधिकारी के कर्तव्य – (1) अभिरक्षक अधिकारी, नियम 13 में निर्दिष्ट और उसके पास जमा पैकेज या पैकेजों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जो आवश्यक हो, ऐसे कदम उठाएगा।

(2) अभिरक्षक अधिकारी, सभी या किसी पैकेज की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए, प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट आदेश द्वारा, किसी पब्लिक सैक्टर बैंक की शाखा या ऐसे अधिकारी या प्राधिकरण के पास जमा कर सकता है।

16. पैकेज या पैकेजों को खोलना –(1) जब कभी अधिनियम के किन्हीं प्रयोजनों के लिए जब कभी किसी मुहरबंध पैकेज या पैकेजों को खोलने की अपेक्षा होती है, तो प्राधिकरण द्वारा निदेशित प्राधिकृत अधिकारी, नियम 15 में निर्दिष्ट अभिरक्षक अधिकारी या पब्लिक सैक्टर बैंक की शाखा या अधिकारी या प्राधिकरण से वही अपेक्षा कर सकता है और अपेक्षा प्राप्त होने पर, यथास्थिति,ऐसे पैकेज या पैकेजों को अभिरक्षक अधिकारी या पब्लिक सेक्टर की शाखा या ऐसे प्राधिकरण के अधिकारी द्वारा उसे दे दिया जाएगा और ऐसे पैकेज या पैकेजों को, दो सम्मानीय साक्षियों की उपस्थिति में, जिस व्यक्ति की अभिरक्षा से सामान अभिग्रहण किया गया था उसे उपस्थित होने की उचित सूचना के पश्चात् प्राधिकृत अधिकारी मुहरबंद तोड़कर खोल सकेगा।

(2) उप नियम (1) में निर्दिष्ट गवाहों को तब तक उपस्थित रहने के लिए अनुज्ञा दी जाएगी जब तक पैकेज या पैकेजों का सामान, यथास्थिति, नए पैकेज या पैकेजों में नियम 13 में विनिर्दिष्ट रीति में रखा जाए और मुहरबंद किया जाए या नियम 15 में निर्दिष्ट ऐसे यथास्थिति व्यक्ति या अभिरक्षक अधिकारी या पब्लिक सैक्टर बैंक की शाखा या प्राधिकरण के अधिकारी को सौंप दिया जाए।

[फा. सं. 11/10/2014 – पे. सु.]

अनुप वधावन, संयुक्त सचिव

प्ररुप
(नियम 5 देखें)

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 17 और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तलाशी और अभिग्रहण प्रक्रिया) नियम, 2014 के नियम 5 के अधीन प्राधिकार का वारंट

अध्यक्ष/प्राधिकरण का पूर्ण कालिक सदस्य होते हुए (प्राधिकरण/अध्यक्ष/पूर्ण कालिक सदस्य द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति का नाम वर्णित करें) प्राधिकरण/मेरे समक्ष जानकारी रखी गई है और उस पर विचार करने पर प्राधिकरण/मेरे विश्वास करने का कारण है कि ....

*(क) श्री.........................., निवासी.................अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (3) के अधीन उसकी अभिरक्षा या शक्ति में पुस्तकों, या अन्य दस्तावेजों या अभिलेखों को प्रस्तुत करना या कराना अपेक्षित होते हुए या ऐसे पुस्तक या दस्तावेज या अभिलेख को प्रस्तुत करने या प्रस्तुत कराने का लोप किया हो उसमें विफल रहे हो ; या

*(ख) श्री.........................., निवासी................. जिससे उसकी अभिरक्षा या शक्ति में किन्हीं पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों या अभिलेखों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है, या ऐसी पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों या अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं करेगा या नहीं करवाएगा जो अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (1) के अधीन किसी अनवेषण में उपयोगी या सुसंगत होंगे ; या

*(ग) .... (मध्यवर्ती का नाम वर्णित करें) इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन किया गया है या किये जाने की संभावना है ; या

*(घ) कोई दावा जिसका........................(मध्यवर्ती का नाम वर्णित करें) द्वारा परिनिर्धारण होना है, या, खारिज हो गया है या खारिज होने की संभावना है या जो एक उचित रकम से अधिक रकम पर निर्धारित किया गया हो ; या

*(ड.) कोई........................द्वारा खारिज....................संभावना है या जो उचित रकम से कम रकम पर परिनिर्धारित किया गया हो ; या

(च) (मध्यवर्ती का नाम वर्णित करें) द्वारा कोई अवैध फीस या प्रभार जो संव्यवहार की गई या संव्यवहार होने की संभावना हो ; या

*(छ) .... (मध्यवर्ती का नाम वर्णित करें) की किन्हीं पुस्तकों, लेखाओं, कागजपत्रों, प्राप्तियों, वाउचरों, सर्वेक्षण रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों जिनके साथ छेड़छाड्य हाने, मिथ्याकरण होने या विनिर्मित होने की संभावना हो और जहां प्राधिकरण /मेरे पास संदेह का कारण हो कि ऐसी पुस्तकों, लेखाओं, कागजों, प्राप्तियों, वाउचरों, सर्वेक्षण रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों को रखा गया हो और पाया जाना है ; या

(भवन/स्थान या ऐसे ब्यौरे जिनसे ऐसे भवन/स्थान का पता लग सके की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करें) ; या

3. और अत:, यह वारंट या प्राधिकार निम्नलिखित को जारी किया जाएगा --

1 .... (प्राधिकृत अधिकारी का नाम और पदनाम)

2. .... (प्राधिकृत अधिकारी का नाम और पदनाम)

3 .... (प्राधिकृत अधिकारी का नाम और पदनाम)

4 .... (प्राधिकृत अधिकारी का नाम और पदनाम)

(क) उक्त भवन/स्थान में प्रवेश और तलाशी करना,
(ख) ऐसे किसी व्यक्ति की तलाश करना जो भवन/स्थान से बाहर गया हो, या प्रवेश करने वाला हो, या अंदर हो, जिस पर आपके पास संदेह का कारण हो कि ऐसे व्यक्ति ने अपने बारे में और ऐसी किन्ही पुस्तकों, लेखाओं, कागज-पत्रों, प्राप्तियों, वाउचरों, सर्वेक्षण रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों को छुपाया हो;

(ग) तलाशी के दौरान पाए गए लेखा, पुस्तकों और दस्तावेजों पर पहचान चिन्ह और जैसा आप उपरोक्त प्रक्रियाओं के लिए सुसंगत या उपयोगी समझे, पहचान चिन्हों के विशिष्टियों के साथ उनकी सूची तैयार करना;

(घ) ऐसी पुस्तकों, लेखाओं, कागज-पत्रों, प्राप्तियों, वाउचरों, सर्वेक्षण रिपोर्टों या अन्य दस्तावेजों की परीक्षा करना और ऐसी पुस्तकों, दस्तावेजों, प्रविष्टियों, वाउचरों रिपोर्टों या अन्य दस्तावेजों की प्रतियां या निष्कर्ष बनाना, या बनवाना;

(ड.) ऐसी तलाशी के परिणामस्वरुप पाए गए ऐसे पुस्तकों, लेखाओं, कागज-पत्रों, प्राप्तियों, वाउचरों, सर्वेक्षण रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों का अभिग्रहण करना और उनका कब्जा लेना;

(च) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तलाशी और अभिकरण की प्रक्रिया) नियम, 2014 के नियम 15 में निर्दिष्ट अभिरक्षा अधिकारी या पब्लिक सेक्टर बैंक की शाखा या अधिकारी या प्राधिकरण के पास ऐसी पुस्तकों, लेखाओं, कागज-पत्रों, प्राप्तियों, वाउचरों, सर्वेक्षण रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों को जमा कराना;

(छ) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तलाशी और अभिकरण की प्रक्रिया) नियम, 2014 में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए, उपर्युक्त प्राधिकृत अधिकारी की सहायता करने के लिए किसी पुलिस अधिकारी या केंद्रीय सरकार के किसी अधिकारी की सेवाओं की अपेक्षा करना और यह प्रत्येक पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होगा कि ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करे;

(ज) जहां किसी व्यक्ति को आदेश तामील करने के लिए ऐसी किन्हीं पुस्तकों, लेखाओं, कागज-पत्रों, प्राप्तियों, वाउचरों, सर्वेक्षण रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों को अभिगृहीत करना व्यवहार्य नहीं है, वहां जिसका उन पर तात्कालिक कब्जा या नियंत्रण हो, वह ऐसे अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय, उन्हें नहीं हटाएगा, अलग नहीं करेगा या अन्यथा व्यवहार नहीं करेगा और ऐसा अधिकारी अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3) के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ऐसे कदम उठा सकेगा, जो आवश्यक हो;

(झ) तलाशी और अभिग्रहण के दौरान, किसी व्यक्ति जिसके पास किन्हीं ऐसी पुस्तकों, लेखाओं, कागज-पत्रों, प्राप्तियों, वाउचरों, सर्वेक्षण रिपोर्ट या अन्य दस्तावेज का कब्जा और नियंत्रण पाया गया हो, का शपथ पर जांच करना और ऐसे जांच के दौरान ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए गए कथन को तत्पश्चात् अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में साक्ष्य में किया जा सकता है;

प्राधिकरण/अध्यक्ष/पूर्ण कालिक सदस्य द्वारा हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(मुहर)

(जो लागू न हो उसे काट दें)

(अधिकारी का नाम)
अधिकारी का पदनाम
(फाइल सं..............................)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

NewDelhi, the 17th November, 2014

G.S.R. 812(E).—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of Section 51, read with sub-section (10) of Section 17 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Procedure for Search and Seizure by Authorised Officer) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013);

(b) "authorisation" means warrant of authorisation issued by the Authority in Form appended to these rules;

(c) "authorised office" means the officer authorised under sub-section (1) of Section 17 of the Act to exercise powers of search and seizure under the said section;

(d) "section" means section of the Act;

(e) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Competent authority to issue authorisation for search and seizure.—(1) The Authority shall issue authorisation under sub-section (1) of Section 17 for the purpose of that section.

(2) Without prejudice to the provisions contained in sub-rule (1), the Chairperson may issue authorisation under sub-section (1) of section 17 if he has been delegated by an order made in writing by the Authority under sub-section (1) of Section 49:

Provided that the Authority may, by order made by it in writing under sub-section (1) of section 49, authorise any of the whole-time members to issue the authorisation, in the temporary absence of the Chairperson.

(3) The Chairperson or the whole-time member shall, immediately after issuing the authorisation under sub-rule (2), report such authorisation along with reasons therefor, to the Authority in its first meeting held immediately after the issue of such authorisation.

4. Officer to whom authorisation may be issued.—The Authority shall issue authorisation to an officer not below the rank of General Manager of the Authority for the purpose of search and seizure under Section 17.

5. Form and manner of issuing authorization.—(1) The authorisation issued under these rules shall be in the Form of appended to these rules.

(2) Every authorisation shall be in writing under—

(a) the signature of the officer directed by the Authority to sign the authorisation to be issued by it under sub-rule (1) of rule 3 and shall bear the seal of the Authority; or

(b) the signature of the Chairperson or the whole-time member, as the case may be, issuing the authorisation under sub-rule (2) of rule 3 and shall bear his seal.

6. Obligation of person in charge of any building or place, to afford all reasonable facilities for search.— Any person in-charge of or in any building or place, authorised to be searched, shall, on demand by the authorised officer and on production of the authorisation, allow him free ingress thereto and afford all reasonable facilities for a search therein.

7. Circumstances under which police force may be used.—If ingress into a building or place cannot be obtained as specified in rule 6, it shall be lawful for the authorised officer executing the authorisation, with such assistance of police officers or of officers of the Central Government, or of both, as may be required, to enter such building or place and search therein, and in order to effect an entrance into such building or place, to break open any outer or inner door or window of the building or place, if after the disclosure of authorisation and the purpose and demand of admittance duly made, he cannot otherwise obtain admittance:

Provided that, if any such building or place is an apartment in actual occupancy of a woman, who according to custom does not appear in public, the authorised officer shall, before entering such apartment, give notice to such woman that she is at liberty to withdraw and shall afford her every reasonable facility for withdrawing and may then break open the apartment and enter it.

8. Breaking open of box, locker, safe, almirah or other receptacle in certain cases.—The authorised officer may require any person who is the owner, or has the immediate possession, or control, of any box, locker, safe, almirah or any other receptacle in building or place, to open the same and allow access to inspect or examine its contents, and, where the keys thereof are not available or where such person fails to comply with any such requirement, may cause any action to be taken including the breaking open of such box, locker, safe, almirah or other receptacle which the authorised officer may deem necessary for carrying out all or any of the purposes specified in the authorisation issued under rule 3.

9. Previous permission of authorised officer required for removal of books, accounts, papers, receipts, vouchers, survey reports or other documents in certain cases.—The authorised officer may, where it is not practicable to seize the books, accounts, papers, receipts, vouchers, survey reports or other documents, serve an order on the owner or the person who is in immediate possession or control thereof that he shall not remove, part with or otherwise deal with them except with the previous permission of the authorised officer who may take such steps as may be necessary for ensuring compliance with this rule.

10. Two or more respectable persons to attend and witness search and seizure.—Before making a search and seizure, the authorised officer shall, where any building or place is to be searched, call upon two or more respectable inhabitants of the locality in which the building or place to be searched is situated, to attend and witness the search and seizure, and may issue an order in writing to them or any of them so to do.

11. Preparation of list of all things seized in course of search.—The search shall be made in the presence of the witnesses and a list of all the books, accounts, papers, receipts, vouchers, survey reports or other documents seized in the course of such search and of the places in which they were respectively found shall be prepared by the authorised officer and signed by such witnesses.

12. Rights of occupants including person in charge of building or place, searched.— (1) The occupant of the building or place, searched, or some person on his behalf, shall be permitted to attend during the search and a copy of the list prepared under rule 11 shall be delivered to such occupant or person.

(2) A copy of the list prepared under rule 11 shall be forwarded to the Authority.

13. Books, accounts, papers, receipts, vouchers, survey reports or other documents seized during search to be placed in package or packages.—(1) The authorised officer shall place or cause to be placed the books, accounts, papers, receipts, vouchers, survey reports or other documents seized during the search in a package or packages which shall be listed with details of such books, accounts, papers, receipts, vouchers, survey reports or other documents placed therein.

(2) Every package referred to in sub-rule (1) shall bear an identification mark and the seal of the authorised officer and the occupants of the building or place, searched or any other person on his behalf shall also be permitted to put his seal on them.

(3) A copy of the list prepared shall be delivered to the occupant or person referred to in sub-rule (2) and a copy thereof shall also be forwarded to the Authority.

14. Deposit of books, accounts, papers, receipts, vouchers, survey reports or other documents seized in search with the Custodian Officer.—The authorised officer shall convey the books, accounts, papers, receipts, vouchers, survey reports or other documents seized during the search, in a package or packages, if any, referred to in rule 13, to an officer of the Authority designated by it as Custodian Officer (hereinafter referred to as the Custodian Officer) for the purposes of these rules and any books, accounts, papers, receipts, vouchers, survey reports or other documents seized in the search referred to above may also be deposited with the Custodian Officer.

15. Duties of Custodian Officer.—(1) The Custodian Officer shall take such steps as he may consider necessary for the safe custody of the package or packages referred to in rule 13 and deposited with him.

(2) The Custodian Officer may deposit for safe custody all or any of the packages with any branch of a public sector bank or with such officer or authority as may, by order, be specified by the Authority.

16. Opening of package or packages.—(1) Whenever any sealed package or packages are required to be opened for any of the purposes of the Act, the authorised officer, on being so directed by the Authority, may requisition the same from the Custodian Officer or the branch of public sector bank or the officer or authority referred to in rule 15 and on receipt of the requisition, such package or packages, as the case may be, shall be delivered to him by such Custodian Officer or branch or public sector bank or such officer or authority and the authorised officer may break any seal and open such package or packages in the presence of two respectable witnesses giving a reasonable notice to the person from whose custody the contents were seized to be present.

(2) The witnesses referred to in sub-rule (1) shall be permitted to be present till the contents of the package or packages are placed in a fresh package or packages and sealed in the manner specified in rule 13 or delivered to such person or the Custodian Officer, or the branch of public sector bank or the officer of authority referred to in rule 15, as the case may be.

[F. No. 11/10/2014-PR]

ANUP WADHAWAN, Jt. Secy.

FORM

[See rule 5]

Warrant of authorisation under section 17 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013) and rule 5 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Procedure for Search and Seizure by Authorised Officer) Rules, 2014.

Whereas information has been laid before the *Authority/*me, being the Chairperson / whole-time member of the Authority (mention the name of the person authorised by the Authority / Chairperson / whole-time member) and on the consideration thereof *Authority / I have reason of believe that-

*(a) Shri----------, resident of -------, being required under sub-section (3) of section 16 of the Act to produce, or cause to be produced, any books, or other documents or record in his custody or power has omitted or failed to produce, or cause to be produced, such books, or other documents or record; or

*(b) Shri-----------, resident of ------------to whom a requisition to produce any books, or other documents or record in his custody or power has been or might be issued will not, or would not, produce or cause to be produced, such books, or other documents or record which will be useful for, or relevant to, an investigation under sub-section (1) of section 16 of the Act; or

*(c) a contravention of any provision of this Act has been committed or is likely to be committed by ---------- (mention name of intermediary); or

*(d) any claim which is due to be settled by the ----------(mention name of intermediary), or, has been or is likely to be rejected or settled at a figure higher than a reasonable amount; or

*(e) any claim which is due to be settled by ---------(mention name of intermediary); or, has been or is likely to be rejected or settled at a figure lower than a reasonable amount; or

*(f) any illegal fees and charges have been transacted or are likely to be transacted by (mention name of intermediary); or

*(g) any books, accounts, papers, receipts, vouchers, survey reports or other documents, belonging to ------------ (mention name of intermediary) are likely to be tampered with, falsified or manufactured.

And whereas *Authority/*I has / have reason to suspect that any such books, accounts, papers, receipts, vouchers, survey reports or other documents, belonging to an intermediary have been kept and are to be found—

(specify particulars of the building / place or such details which shall locate such building / place).

3. And therefore, this warrant or authorisation is issued to,—

1.---(name and designation of Authorised Officer)

2.---(name and designation of Authorised Officer)

3.---(name and designation of Authorised Officer)

4.---(name and designation of Authorised Officer)

(a) to enter and search the said building / place;

(b) to search any person who has got out of, or is about to get into, or is in the building / place if you have reason to suspect that such person has secreted about his person any such books, accounts, papers, receipts, vouchers, survey reports or other documents;

(c) to place identification marks on such books of account and documents as may be found in the course of the search and as you may consider relevant to or useful for the proceedings aforesaid and to make a list thereof together with particulars of the identification marks;

(d) to examine such books, accounts, papers, receipts, vouchers, survey reports or other documents and make, or cause to be made, copies or extracts from such books, accounts, papers, receipts, vouchers, reports or other documents;

(e) to seize any such books, accounts, papers, receipts, vouchers, survey reports or other documents found as a result of such search and take possession thereof;

(f) to deposit such books, accounts, papers, receipts, vouchers, survey reports or other documents with the Custodian Officer or the branch of public sector bank or with the officer or authority referred to in rule 15 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Procedure for Search and Seizure by Authorised Officer) Rules, 2014;

(g) requisition the services of any police officer or any officer of the Central Government, or of both, to assist the aforesaid authorised officer for all or any of the purposes specified in the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Procedure for Search and Seizure by Authorised Officer) Rules, 2014 and it shall be the duty of every such police officer or officer to comply with such requisition;

(h) where it is not practicable to seize any such books, accounts, papers, receipts, vouchers, survey reports or other documents to serve an order on the person who is in immediate possession or control thereof that he shall not remove, part with or otherwise deal with them except with the previous permission of such officer and such officer may take such steps as may be necessary for ensuring compliance with the provisions of sub-section (3) of section 17 of the Act;

(i) to examine during the course of the search or seizure on oath any person who is found to be in possession or control of any such books, accounts, papers, receipts, vouchers, survey reports or other documents, and any statement made by such person during such examination may thereafter be used in evidence in any proceeding under the Act;

Officer authorised to sign by the Authority / Chairperson / Whole-time member

(SEAL)

(*Strike out whichever is not applicable)

(Name of officer)

Designation of officer

(File No.----------------------)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.